अध्याय तृतीय

शोध प्रविधि

अध्याय – तृतीय

शोध प्रविधि

3.1 प्रस्तावना :

शोध प्रबंध की व्यवस्थित रूपरेखा ही शोध ही शोध को सही दिशा प्रदान करती है। वांछित दिशा में किये गये सार्थक प्रयासों से शोध में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा व्यैक्तिक अध्ययन विधि का उपयोग किया गया है। केस स्टडी विधि का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

3.2 प्रदत्त संकलन हेतु अपनाई गई प्रविधि : व्यैक्तिक अध्ययन विधि :–

केस स्टडी शोध के क्षेत्र में प्रविधि और उपकरण दोनों ही है। केस स्टडी विधि को नैदानिक विधि, व्यैक्तिक इतिहास विधि, केस इतिहास विधि आदि नामों से भी जाना जाता है।

व्यैक्तिक इतिहास विधि एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग शिक्षा मनोवैज्ञानिक कुसमायोजित बालकों तथा विचलित बच्चों की समस्याओं के लिए भी किया जाता है। कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग शिक्षार्थियों की संवेगात्मक समस्याओं के अध्ययन में भी सफलतापूर्वक किया है।

इस विधि में व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक केस विवरण या इतिहास तैयार किया जाता है। जिसमें व्यक्ति द्वारा पिछले कई वर्षों में की गई अन्तः क्रियाओं का एक विशेष रिकार्ड तैयार किया जाता है। इन अन्तः क्रियाओं का विश्लेषण करके शिक्षा मनोवैज्ञानिक ऐसे बालकों की समस्याओं के संभावित कारणों का पता लगाते है। व्यक्तिक अध्ययन का क्षेत्र तो सीमित होता है किंतु इसमें गहराई एवं गहनता होती है। व्यैक्तिक अध्ययन विधि केवल विशेष प्रकार के केस के लिए प्रयोग की जाती है।

इसके लिए आवश्यक है व्यक्तिगत अवलोकन और वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुतः व्यैक्तिक अध्ययन का अर्थ है गहन अध्ययन। यहां पर गहराई से तात्पर्य है कि सभी घटनाओं को गहराई से खोजना। इस प्रकार व्यैक्तिक अध्ययन से तात्पर्य है :–

– किसी इकाई का व्यैक्तिक अध्ययन
– गहन अध्ययन
– संचय अध्ययन
– आलोचनात्मक अध्ययन

3.2.1 व्यैक्तिक अध्ययन विधि की परिभाषायें :–

चार्ल्स कूले के अनुसार :–

व्यैक्तिक अध्ययन हमारे निरीक्षण को गहन बनाती है तथा जीवन के अंदर झाँकने की अधिक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। इसके द्वारा हम मानव व्यवहार का अप्रत्यक्ष तथा अमूर्त विधियों से अध्ययन करने के स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करते हैं।।

पी.वी. यंग के अनुसार –

व्यैक्तिक अनुसंधान किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा समस्त जाति हो, के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने की पद्धति को कहते है।। उसका उद्देश्य उन तथ्यों का निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूह की व्यवहार विधियां इकाई के अपने आस–पास के संबंधों को स्पष्ट करते हैं।

3.2.2 व्यैक्तिक अध्ययन विधि के उद्देश्य :–

व्यैक्तिक अध्ययन विधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1) निदानात्मक उद्देश्य
2) मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक समस्याओं के संबंध में तथ्यों की प्राप्ति
3) मुख्य तथ्यों के साथ अन्य पूरक जानकारी एकत्रित करना साथ में अनुवर्ती कार्य करना।

3.2.3 व्यैक्तिक अध्ययन के सोपान :

व्यैक्तिक अध्ययन के निम्नलिखित सोपान हैं :

1) व्यैक्तिक अध्ययन में सबसे पहले केस से संबंधित पुरानी जानकारी को एकत्रित करना जो कि केस की समस्या के निदान के लिए आवश्यक हो।

2) व्यैक्तिक अध्ययन के दूसरे चरण में केस से संबंधित वर्तमान स्थिति का परीक्षण करना जिससे उस केस को समझने में सहायता मिले जिससे केस के निराकरण के लिए सुझाव दिये जा सके।

3) व्यैक्तिक अध्ययन के तीसरे चरण में भविष्य में केस के विकास और सुधार के लिए तथा जो सुझाव दिये हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

गुडे तथा हैट के अनुसार :

यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिससे अध्ययन किये जाने वाले सामाजिक विषय की पूर्णतया रक्ष हो सके। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी विधि है, जिनमें किसी सामाजिक इकाई को उसके संपूर्ण स्वरूप में ग्रहण किया जाता है।

3.2.4 व्यैक्तिक अध्ययन की विशेषताएं :–

व्यैक्तिक अध्ययन की निम्नलिखित विशेषताएं है :

1. **इसमें अनुसंधान का आधार एक या अधिक समााजिक इकाईयां होती हैं**

यह इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था या समस्त जाति भी हो सकती है या ऐसी अमूर्त वस्तु भी हो सकती है, जैसे कोई स्वभाव या संबंध आदि।

2. **इस अध्ययन का उद्देश्य एक निश्चित चुने हुये वर्ग का अध्ययन करना होता है** तथा यह लम्बी समयावधि तक चलता है। व्यैक्तिक अध्ययन प्रायः ऐतिहासिक या समय के क्रम से किया जाता है। इसकी समयावधि इसकी दीर्घकालीन होती है ताकि उचित एवं शुद्ध निष्कर्ष निकलाने हेतु सूचना प्रदान कर सके।

3. **इस अध्ययन का उद्देश्य इकाइयों की व्यवहारिक विधि के कारक तत्वों का पता लगाना भी होता है।**

यह व्यवहार इकाइयों के पारस्परिक संबंधों का भी हो सकता है तथा दो वर्गों के पारस्परिक संबंध का भी हो सकता है। इनकी व्यवहार विधि का भी काफी समय तक अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उनकी क्य प्रतिक्रिया रही है, क्या पारस्परिक संबंधों में कोई अंतर आया। इस प्रकार का सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन चुनी हुई इकाइयों के जीवन से किया जाता है और उसी के आधार पर कारक नियमों का निर्माण किया जाता हैं।

4. **यह इकाईयों का संपूर्ण अध्ययन होता है**

गुडे एवं हैट के अनुसार यह एक ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई के समस्त रूप को ग्रहण करती है। व्यैक्तिक अध्ययन विधि में इकाई के समस्त जीवन का ही अध्ययन किया जाता है। जिस इकाई को चुना जाता है उसके संपूर्ण अंगों का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है।

3.2.5 व्यैक्तिक अध्ययन विधि के गुण :–

लुण्डबर्ग के अनुसार – व्यैक्तिक अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष सामाजिक व्यवहार के पर्यवेक्षक तथा सामाजिक तथ्यों के संकलनकर्ता होते हैं जब तक हम उसकी सामग्री का समाज विज्ञान के लिए उपयोग नहीं करते, उस विज्ञान का विकास अनावश्यक रूप से रूका रहता है।

व्यैक्तिक अध्ययन प्रणाली के गुण इस प्रकार है :

1. जब अनुसंधान का विषय मात्र एक घटना न होकर लंबी प्रक्रिया होती है, जैसे दलों का निर्माण आदि।

2. उसके द्वारा विरोधी इकाइयों का पता लगाते है। विरोधी इकाइयां तो वे होती हैं जो हमारी निश्चित उपकल्पना के विरूद्ध होती है।

3. व्यैक्तिक अध्ययनसे वैध उपकल्पना का निर्माण किया जा सकता है।

4. इस अध्ययन से आंकड़ों का महत्व समझने में सुविधा होती है। जीवन से संबंधित कारणों को जानने के लिए जीवन का बहुमुखी तथा पूर्ण अध्ययन आवश्यक है।

5. व्यैक्तिक अध्ययन प्रश्नावली अनुसूची आदि अन्य प्रपत्रों को तैयार करने में सहायक होता है। किसी वर्ग की इकाइयों का अध्ययन करने के बाद ही उसकी रूचियों और प्रवृत्तियों का पूर्ण ज्ञान हो पाता है जिससे प्रपत्रों के निर्माण में सुविधा होती है।

6. इस अध्ययन द्वारा इकाइयों का वर्गीकरण करना आसान होता है। इसमें वर्गीकृत न्यादर्श निकालने में सुविधा मिलती है।

7. इस प्रकार के अध्ययन से अनुसंधानकर्ता के अनुभव का क्षेत्र विस्तारित हो जाता है। इस प्रणाली में जीवन के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। जिससे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित उसके ज्ञान और अनुभव की वृद्धि होती है।

3.2.6 व्यैक्तिक अध्ययन विधि की सीमायें :

व्यैक्तिक अध्ययन विधि की सामान्यतः निम्नलिखित सीमायें है :–

1. यह विधि असंगठित एवं अवैज्ञानिक है क्योंकि इकाइयों का चुनाव करने तथा सूचना प्राप्त करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता तथा निष्कर्षों के सत्यापन की भी संभावना नहीं रहती है।

2. इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अनुसंधानकर्ता के मन में झूठा आत्मविश्वास जगाती है। उसके मन में यह धारणा उत्पन्न हो जती है कि है कि वह इकाइयों के संबंध में सब कुछ जानता है।

3. इस विधि में अवलोकन ठीक से नहीं हो पाता। अतः निर्वचन गलत होता है जिससे प्रतिदर्श संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता जिसके परिणामस्वरूप परिणामों में अशुद्धता आ जाती है। वास्तविक सूचना के स्थान पर काल्पनिक सूचना प्राप्त होती है जिससे इसके आधार पर निकाले हुए निष्कर्ष भी वैध नहीं माने जा सकते।

4. अनुसंधानकर्ता किसी घटना का वैज्ञानिक कारण ढूंढने के स्थान पर सामान्य बुद्धि से प्राप्त समाधान को सब कुछ समझ लेता है।

5. व्यैक्तिक अध्ययन विधि के लिए समय और धन की अधिक आवश्यकता रहती है।

6. जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी होती है, वह सही सूचना न देकर अनुसंधानकर्ता जो चाहता है वह सूचना देता है।

7. इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े तुलनात्मक नहीं होते। प्रत्येक उत्तरदाता अपनी कहानी अपने शब्दों में कहता है।

8. व्यैक्तिक अध्ययन विधि बिल्कुल ही अन्तर्दर्शी तथा आत्मनिष्ठ है।

9. व्यैक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा किसी भी प्रकार के नये ज्ञान की प्राप्ति में योगदान नहीं हो सकता है।

10. व्यैक्तिक अध्ययन विधि में माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य सच्ची घटनाओं एवं तथ्यों को विशेषकर अपनी कमजोरियों एवं गल्तियों को छिपा लेते हैं।

3.2.7 सूचना के स्त्रोत

व्यैक्तिक अध्ययन विधि के अंतर्गत सूचना के स्त्रोतों को निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। :–

1) लिखित अथवा द्वितीयक सामग्री
2) संकलित अथवा प्राथमिक सामग्री
3) संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचना
4) सरकारी रिकार्ड
5) स्वयं व्यक्ति द्वारा

1) लिखित अथवा द्वितीयक सामग्री :–

यह आत्मकथा, पत्र, डायरी तथा जीवन वृत्त के रूप में हो सकती है। लोग अपनी डायरियों में दैनिक घटनाओं का विचारों का तथा मानसिक स्थितियों का वर्णन

करते हैं। इनके द्वारा लेखक के मानसिक जीवन की रचना या गतिशीलता का पता चलता है साथ ही लेखक के व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों तथा जीवन दर्शन पर जो वैषयिक वास्तविकता अथवा व्यक्ति प्रधान प्रशंसा के रूप में होती है, पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

2) संकलित सामग्री :–

जब व्यक्ति से संबंधित सूचनायें संबंधित व्यक्ति के साथ साक्षात्कार द्वारा या अप्रत्यक्ष अवलोकन विधियों द्वारा संकलित की जाती है तब उसे संकलित सामग्री की संज्ञा दी जाती है। **पी.वी. यंग के अनुसार** – यह संकलन असाधारण सत्यापनों जैसे कॉन्फ्रेंसों, वार्तालापों, नाटकीय विधियों का अवलोकन तथा प्रयोगोत्तर साक्षात्कारों से लेकर अत्यंत जटिल विधियों जैसे प्रायोगिक अध्ययन, अनेक प्रकार की परीक्षाओं जैसे योग्यता परीक्षा, सम्मोहन परीक्षा, कलात्मकता की परीक्षा, भावनात्मक अध्ययन, कल्पना की उत्पादकता तथा मनोवैज्ञानिक सूझबूझ इत्यादि तक से किया जाता है।

3) संबंधित व्यक्तियों से :–

इनमें माता–पिता, अभिभावक, संरक्षक, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक इत्यादि व्यक्ति से संबंधित विभिन्न लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं यह सभी व्यक्ति से संबंधित विभिन्न घटनाओं के संबंध में अपने–अपने ढंग से सूचनायें देते हैं। यह सूचनाएं अनुसंधानकर्ता के लिए सच को पहचानने में महत्वपूर्ण साबित होती है।

4) सरकारी रिकार्ड से

बेबी बुक्स, विद्यालयीन, पुलिस कोर्ट, मिलेट्री संस्थानों, क्लब आदि से व्यक्ति के सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।

5) व्यक्ति द्वारा

कई बार रोगी अथवा विषयी द्वारा बहुत सी सूचनाएं अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होती हैं परंतु उनकी सत्यता के संबंध में संदेह रहता है।

3.3 प्रतिदर्श

3.3.1 भूमिका

शोध प्रबंध की व्यवस्थित रूपरेखा ही शोध को सही दिशा प्रदान करती है। वांछित दिशा में किये गये सार्थक प्रयासों से शोध में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती हैं इसमें न्यादर्श के चयन की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि न्यादर्श जितने अधिक सुदृढ़ रहेंगे, शोध के परिणाम उतने ही विश्वसनीय परिशुद्ध होंगे। साथ ही न्यादर्श संकलन हेतु अपनाए गए उपकरण तथा तकनीकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं पर न्यादर्शों की उपयोगिकता एवं सार्थकता निर्भर करती है।

किसी भी अनुसंधानकर्ता को अपने शोध भवन को बनाने के लिए प्रतिदर्श रूपी आधारशिला की आवश्यकता होती है क्योंकि आधारशिला जितनी मजबूत होगी परिणाम उतने ही विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होंगे। अतः यह आवश्यक है कि प्रतिदर्श का चयन ठीक ढ़ंग से किया जाए।

3.3.2 प्रतिदर्श : किशोर बालिका गृह नेहरू नगर भोपाल की 15 उपेक्षित बालिकाओं को अध्ययन के प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है। प्रतिदर्श सोद्देश्य सुविधानुसार लिया गया है।

किशोर बालिका गृह की स्थापना सन् 1990 में हुई। यह बालिका गृह किशोर न्याय अधिनियम धारा 9 के अंतर्गत एवं बाल कल्याण समिति के स्थापित कार्यालय अधीक्षक किशोर बालिका गृह भोपाल के 15 बालिकाओं का अध्ययन किया गया है जोकि किसी न किसी तरह से उपेक्षित होकर किशोर बालिका गृह में रह रही हैं। धारा 9 के अंतर्गत केवल उपेक्षित बालिका एवं बालक आते हैं। बालिका गृह में "किशोर कल्याण बोर्ड" के माध्यम से बालिकाएं आती है। इस गृह में 18 वर्ष होने तक बालिकाएं रहती हैं।

किशोर बालिका गृह में रहने वाली उपेक्षित बालिकाओं की संख्या कुल 62 है जिससे से 52 सामान्य बालिकाएं है एवं 10 मंदबुद्धि बालिकाएं है। सामान्य 52 बालिकाओं में से 13 से 15 वर्ष की 15 उपेक्षित बालिकाओं का अध्ययन किया गया है समस्त

बालिकाएं विभिन्न शहरों से आई हैं एवं इन्हें "किशोर कल्याण बोर्ड" के आदेशानुसार इस संस्था में भेजा गया है। ये समस्त बालिकाएं यहां 18 वर्ष की आयु तक निवास कर सकती हैं इसके बाद इन्हें "विशेष गृह" में भेजा जाता है।

सामान्य बालिकाएं सतगुरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेहरू नगर में शिक्षा के लिए जा रही है तथा मंदबुद्धि बालिकाओं को "दिग्दर्शिका" नित्य भेजा जा रहा है।

किशोर बालिका गृह पंचायत एवं समाज सेवा विभाग से संचालित होती है। सरकार की ओर से इस विभाग के माध्यम से संस्था को चलाने हेतु अनुदान प्राप्त होता है।

सारणी क्र–1

किशोर बालिका गृह की उपेक्षित बालिकाओं की सामान्य जानकारी

क्र.	उपेक्षित बालिकाओं के नाम	शहर/गांव/जिले का नाम (जहां से बालिका आई)	आयु वर्ष में	कक्षा वर्तमान में (अध्ययनरत)
01.	कुमारी आशा	ग्राम मझौला, थाना सिरसी, गुना मध्यप्रदेश	15	दसवीं
02.	कुमारी आपुरीन	सिंधी कालोनी, भोपाल मध्यप्रदेश	14	पांचवी
03.	कुमारी वर्षा	सुल्तानगंज, रायसेन मध्यप्रदेश	13	छटवीं
04.	कुमारी बिन्दु	गल्लामंडी इंदौर, मध्यप्रदेश	15	आठवीं
05.	कुमारी रश्मि	सियरमऊ, रायसेन, मध्यप्रदेश	13	सातवीं
06.	कुमारी संतोषी	हरदी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़	15	आठवीं
07.	कुमारी आनंदी	खरगौन, मध्यप्रदेश	15	आठवीं
08.	कुमारी नूरबानों	संजय नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	15	सातवीं
09.	कुमारी रानू	तिलकवार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश	14	पांचवीं
10.	कुमारी बबली	भोपाल टाकिज के पास, मध्यप्रदेश	14	सातवीं
11.	कुमारी महक	ग्राम सिनवास, पोस्ट पाचरां, रायसेन, मध्यप्रदेश	13	आठवीं
12.	कुमारी बाली	ग्राम दीवटिया, रायसेन, मध्यप्रदेश	15	सातवीं
13.	कुमारी अंजली	निवास की जानकारी नहीं है	15	सातवीं
14.	कुमारी राखी	इंदौर, मध्यप्रदेश	14	छठवीं
15.	कुमारी कल्पना	क्ठकुआ सेमरी, सीहोर, मध्यप्रदेश	15	सातवीं

सारणी क्र–2

किशोर बालिका गृह की उपेक्षित बालिकाओं के उपेक्षित होने का प्रकार/कारण

क्र.	उपेक्षित बालिकाओं के नाम	प्रकार/ कारण
1.	आशा	पिता द्वारा दूसरी शादी, मॉ द्वारा छोड़ कर चले जाना
2.	आफरीन	दुष्कृत्य की शिकार
3.	वर्षा	सौतेली मां के अत्याचार, दुष्कृत्य की शिकार
4.	बिंदु	सौतेले पिता के अत्याचार से तंग आकर घर से भागना
5.	रश्मि	पिता द्वारा मां का परित्याग कर दूसरी शादी एक व्यक्ति द्वारा बहलाकर भीख मंगवाना, बाद में दुष्कृत्य की शिकार
6.	संतोषी	सौतेली मां के अत्याचार, बालश्रमिक के रूप में काम, घर से भागना
7.	आनंदी	सौतेली मां के अत्याचार, कचरा बीनती थी, घर से भागी
8.	नूरबानों	सौतेली मां और पिता द्वारा मारपीट। एक व्यक्ति द्वारा नौकरी का झाँसा देकर घर से भगाया।
9.	रानू	घर से भाग आई अथवा घर से भगाया
10.	बबली	भीख मांगते हुए पकड़ाई
11.	महक	पिता की मृत्यु, मां द्वारा दूसरा विवाह, मामी द्वारा घर से निकाला गया।
12.	बाली	पिता द्वारा उपेक्षित छोड़कर दिल्ली चले जाना। होटल वाले के यहां काम करते पकड़ाई।
13.	अजंलि	मां की मार खाकर गुस्से में घर छोड़ दिया
14.	राखी	माता–पिता में तलाक। पिता का पता खोजने में रास्ता भटक गई।
15.	कल्पना	मां के लाड़ प्यार का गलत फायदा उठाया तथा घर से भागना।

3.3 वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि के लिए अपनाए गए उपकरण :-

प्रस्तुत अध्ययन में शोध उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है।

1) संस्था "किशोर बालिका गृह" द्वारा संचित अभिलेख।

2) अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार व्यक्तिगत अध्ययन प्रपत्र।

3) मनोवैज्ञानिक परीक्षण

जिनको निम्न आरेख द्वारा समझाया गया जिनको निम्नलिखित प्रवाह आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है :-

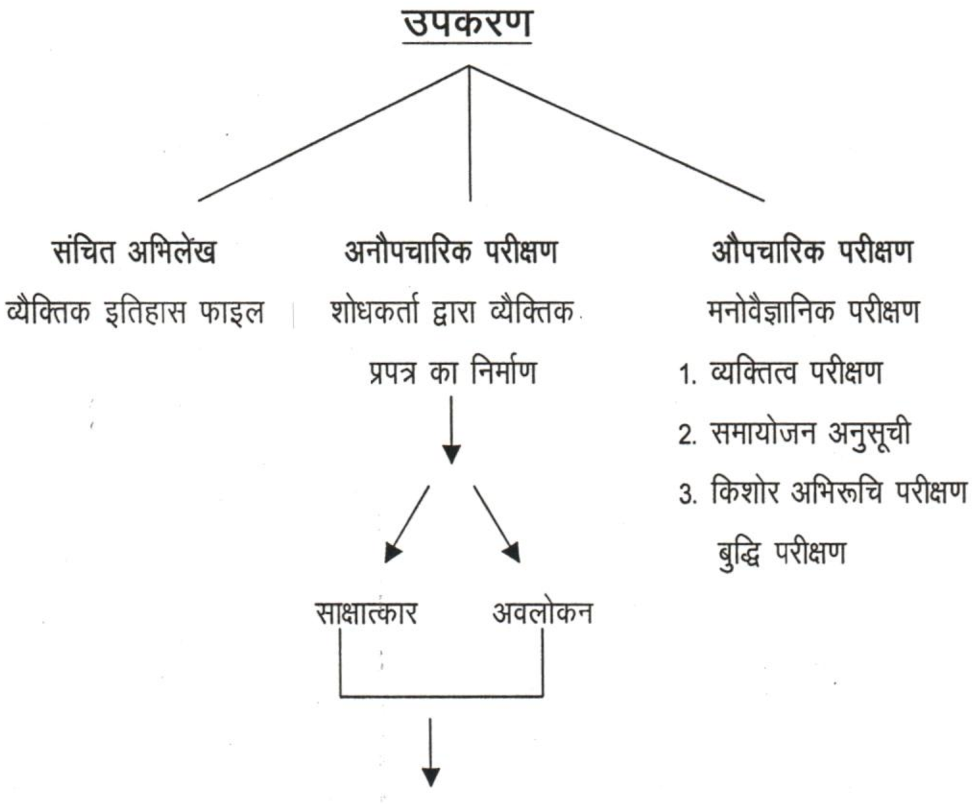

1) बालिका द्वारा प्राप्त जानकारियां

2) बालिका के माता-पिता संबंधियों द्वारा प्राप्त जानकारियां

3) बालिका के दोस्तों के बारे में तथा उनसे प्राप्त जानकारियां

4) किशोर बालिका गृह की बालिकाओं तथा कर्मचारियों से प्राप्त जानकारियां

5) अनुसंधानकर्ता के अवलोकन द्वारा प्राप्त जानकारियां

क) संस्था द्वारा संचित अभिलेख :–

संस्था द्वारा किशोर बालिका गृह में दो प्रकार के अभिलेख संचित होते हैं। प्रथम संस्था द्वारा तैयार व्यक्तिगत अध्ययन फाइल तथा दूसरा पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभिलेख। इनके उपयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा द्वितीयक स्त्रोत के रूप में किया है।

अ) किशोर बालिका गृह में प्रत्येक उपेक्षित बालिका की व्यक्तिगत अध्ययन (केस स्टडी) फाइल तैयार की जाती है। इस फाईल में उपेक्षित बालिका के पारिवारिक विवरण तथा व्यवहार संबंधी संपूर्ण जानकारी होती है। व्यक्तिगत अध्ययन की सहायता से उपेक्षित बालिका की समस्या, पारिवारिक तथा व्यवहारिक जानकारियों की यथार्थता तथा सटीकता का पता लगाना संभव हो पाया तथा व्यक्तिगत अध्ययन की सहायता से बालिका के व्यवहार एवं समस्याओं में संबंध स्थापित करने में सहायता मिली।

ब) पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभिलेख :–

इस अभिलेख में मुख्यतः बालिका पर लगाई गई धारायें होती हैं तथा घटना का संक्षिप्त वर्णन होता है। इस अभिलेख से शोधकर्ता को समस्या के वैचारिक पक्ष को गहराई से समझने में मदद मिली।

ख) अनौपचारिक परीक्षण (व्यक्तिगत अध्ययन प्रपत्र)

अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता द्वारा व्यक्तिगत प्रपत्र का निर्माण किया गया। तत्पश्चात प्रस्तुत शोध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यक्गित अध्ययन प्रपत्र तैयार किया गया है। शोध हेतु आवश्यक जानकारियां एकत्रित करने हेतु प्रस्तुत व्यक्तिगत अध्ययन को निम्न बिंदुओं में बाँटा गया है :–

1. सामान्य जानकारी
2. समस्या की जानकारी
3. पारिवारिक विवरण

4. स्वास्थ्य संबंधी जानकारी
5. विद्यालयीन विवरण
6. व्यवहार संबंधी जानकारी
7. मनौवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर किया गया मूल्यांकन
8. किशोर बालिका गृह में बालिका द्वारा किये जाने वाले कार्य कलाप।
9. बालिका का अपनी समस्या के प्रति दृष्टिकोण
10. शोधकर्ता का सामान्य अवलोकन
11. निष्कर्ष एवं शोधकर्ता द्वारा किये गए सुझाव

ग) औपचारिक परीक्षण (मनोवैज्ञानिक परीक्षण)

कोई बालिका यदि ''उपेक्षित बालिका'' के संबोधन से पहचानी जाती है तो इसके लिए उसने अपने कई गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं – जैसे बालिका की स्व–सामंजस्य क्षमता, बालिका का बौद्धिक तथा मानसिक स्तर आदि। बालिका का व्यवहार बहुत हद तक उसके मनोवैज्ञानिक गुणों पर निर्भर करता है–जैसे बालिका का सामंजस्य''। चाहे वह अपने आपसे सामंजस्य क्षमता हो, चाहे दूसरो से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। सामंजस्य क्षमता बालिका के व्यवहारों का निर्धारक भी है और संचालक भी। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग किया गया है:–

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली।
2. रेवेन्ज प्रोग्रोसिव मैट्रिसेज
3. समायोजन परीक्षण
4. किशोर अभिरूचि परीक्षण

1. हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली (एच.एस.पी.क्यू.)

हाईस्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली (एच.एस.पी.क्यू.) के द्वारा व्यक्तित्व के 14 घटकों को मापा जाता है और इससे व्यक्तित्व के प्रमुख गुणों का पता लगाया जाता है। इसका निर्माण श्री आर. बी. कैटिल ने किया और इसका भारतीय परिस्थितियों में मानवीकरण श्री एस. डी. कपूर एवं एस. एस. श्रीवास्तव एवं श्री जी. एन. पी. श्रीवास्तव ने किया। इसका निर्माण 1930 में किया गया। इसमें दो फार्म है'ए' तथा ''बी''। इसका उपयोग 13 से 16 वर्ष के बालक, बालिकाओं पर किया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में इस प्रश्नावली के हिंदी प्रपत्र के "ए" फार्म तथा "बी" फार्म का उपयोग किया गया है। इसमें "ए" फार्म में 142 तथा "बी" फार्म में 142 प्रश्न है। संपूर्ण परीक्षण के लिए कुल 40 ए फार्म तथा बी फार्म के लिए 40 मिनट का समय दिया गया जोकि निर्धारित है। किंतु थोड़ा समय आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है।

2. रेवन स्टैण्डर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस :–

जे.रेवने, जे.सी. रेवन तथा जे.एच. रेवन के इस मेट्राइसेस का उपयोग बालिकाओं की बुद्धि आंकलन के लिए किया गया है। इस परीक्षण में कुल पांच खण्ड ए, बी, सी, डी है। प्रत्येक खंड में 12 प्रश्न है। इस प्रकार कुल 60 प्रश्न इस परीक्षण में है।

3. समायोजन परीक्षण :–

डॉ. रागिनी दुबे के इस स्केल का उपयोग बालिकाओं के स्वसमायोजन क्षमता तथा समूह समायोजन क्षमता के आंकलन के लिये किया गया है। इस स्केल की सहायता से बालिकाओं के स्व समायोजन, समूह समायोजन के साथ–साथ पूर्ण समायोजन क्षमता का आंकलन किया जा सकता है।

4. किशोर अभिरूचि परीक्षण :–

इसका निर्माण श्रीमती ए.डेविड ने किया इसमें 40 प्रश्न है। यह सूची पॉच रूचियों खेलकूद, कला, साहित्य, समाजसेवा एवं विज्ञान के क्षेत्र में रूचि का अध्ययन करती है। इसका उपयोग 13 से 22 वर्ष के बालक बालिकाओं की रूचि जानने के लिये किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में उपेक्षित बालिकाओं की रूचि का क्षेत्र जानने के लिए इसका उपयोग किया गया है।

3.4 प्रशासन :

सभी 15 व्यक्तिगत अध्ययन प्रपत्र भरने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा साक्षात्कार एवं अवलोकन का सहारा लिया जाता हे। साक्षात्कार लेने से पहले उपेक्षित बालिकाओं से मधुर संबंध स्थापित किये गये । अच्छे संबंध बनाने एवं उनको विश्वास में लेने के लिए कई प्रकार के प्रयास किये गये हैं।

अनुसंधानकर्ता द्वारा किशोर बालिका गृह की अधीक्षक की सहमति से दो हिंदी फिल्में "बागवां" व "वक्त" दिखाई गई। दो बार योगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसे मिसेस किरण चौहान एवं मिस्टर नागेश चौहान ने बालिकाओं को सिखाया। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा शतरंज, कैरम, साँप–सीढ़ी, अष्टाचंगा, आदि "इंडौर गेम" करवाये गये। किशोर बालिका गृह में मौजूद मैदान में दौड़ और चम्मच दौड़ का आयोजन कराया गया जिससे बालिकाओं को शोधकर्ता पर विश्वास होने लगा तथा अपना दोस्त समझने लगी। इसके बाद अनुसंधानकर्ता द्वारा धीरे–धीरे बालिकाओं की निजी जिंदगी के बारे में पूछताछ शुरू की गई इसके साथ ही अनुसंधाकर्ता ने बालिका के दोस्तों के बारे में सहेलियों के बारे में जानकारी एकत्रित की।

अनुसंधाकर्ता ने इसके साथ ही ग्यारस के दिन दिनांक 12.11.05 को कम्युनिटी हॉल टी.टी. नगर में उपस्थित होकर किशोर बालिका गृह से निकली बालिकाओं के विवाह में उपस्थिति दर्ज करवाकर संस्था के कर्मचारियों के साथ व्यवहार स्थापित किया। डॉक्टर श्रीमती रागिनी चुघ के द्वारा किये जाने वाले मासिक चेकअप के समय भी शोधकर्ता उपस्थित रही। जिससे लड़कियों की सही स्वास्थ्य स्थिति का पता लगा। 26 जनवरी 2006 को भी शोधकर्ता ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम देखकर उनकी सांस्कृतिक रूचि और योग्यता का अवलोकन किया।

इस तरह बालिकाओं से साक्षात्कार लेने से पहले उनके साथ मधुर संबंध स्थापित किये गये ताकि बालिकाओं को किसी तरह का संकोच न हो। साक्षात्कार लेते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि बालिका को पता न चले कि उसका साक्षात्कार लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्था में नित्य कुछ घंटे रहकर बालिका की समस्त गतिविधियों का अवलोकन किया गया। संस्था में भी बालिका के संबंध में जानकारी हेतु परिवीक्षा अधिकारी श्रीमती अंतोनिया इक्का मैडम, श्री महेश दुबे सर, केयर टेकर तथा बालिका की हम उम्र अन्य बालिकाओं इत्यादि से भी बालिका के संबंध मे पूछा गया। इन सभी साक्षात्कारों से बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो गई। इसके बद इन सभी जानकारी को व्यक्तिगत अध्ययन प्रपत्र में भरा गया उसके बाद उसका विश्लेषण किया गया।

संस्था में रहने वाली समस्त बालिकाओं से पूछताछ की गई। इस तरह समस्त स्त्रोतों से प्राप्त जानकारियों तथा अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अवलोकन के आधार पर घटना तथा कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

सारणी क्र–3

मनोवैज्ञानिक परीक्षण का परिणाम

बुद्धि परीक्षण का परिणाम

क्र.	बालिकाओं के नाम	आयु वर्ष में	रॉ स्कोर	प्रतिशत	ग्रेड
1.	कुमारी आशा	15	45	50	औसत
2.	कुमारी आफरीन	14	54	90	औसत से ऊपर
3.	कुमारी वर्षा	13	40	25	औसत से नीचे
4.	कुमारी बिंदु	15	48	75	औसत से ऊपर
5.	कुमारी रश्मि	13	39	50	औसत
6.	कुमारी संतोषी	15	26	50	औसत
7.	कुमारी आनंदी	15	36	25	औसत से कम
8.	कुमारी नूरबानों	15	45	50	औसत
9.	कुमारी रानू	14	50	75	टौसत से ऊपर
10.	कुमारी बबली	14	54	90	औसत से ऊपर
11.	कुमारी महक	13	52	88	औसत से ऊपर
12.	कुमारी बाली	15	26	50	औसत
13.	कुमारी अंजलि	15	54	90	औसत से ऊपर
14.	कुमारी राखी	14	53	85	औसत से ऊपर
15.	कुमारी कल्पना	15	54	90	औसत से ऊपर

उपरोक्त सारणी के आधार पर ज्ञात होता है कि सभी 15 बालिकाओं में से केवल 2 बालिकाएं ऐसी हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से नीचे है। अधिकांश बालिकाओं की बृद्धि सामान्य या सामान्य से उपर है।

सारणी क्र–4

मनोवैज्ञानिक परीक्षण का परिणाम

अभिरूचि परीक्षण का परिणाम

क्र.	उपेक्षित बालिका का नाम	अत्यधिक रूचि का क्षेत्र (प्रथम प्राथमिकता	समान्य रूचि का क्षेत्र (द्वितीय प्राथमिकता
1.	कुमारी आशा	खेलकूद	समाज सेवा
2.	कुमारी आफरीन	साहित्य	समाज सेवा
3.	कुमारी वर्षा	साहित्य	समाज सेवा
4.	कुमारी बिंदु	समाजसेवा	कला
5.	कुमारी रश्मि	कला	समाज सेवा
6.	कुमारी संतोषी	समाजसेवा	साहित्य
7.	कुमारी आनंदी	समाजसेवा	कला
8.	कुमारी नूरबानों	कला	साहित्य
9.	कुमारी रानू	कला	सहित्य व समाजसेवा
10.	कुमारी बबली	समाजसेवा	सहित्य
11.	कुमारी महक	कला	समाज सेवा
12.	कुमारी बाली	खेलकूद	कला
13.	कुमारी अंजलि	समाज सेवा	कला
14.	कुमारी राखी	समाज सेवा व कला	खेलकूद
15.	कुमारी कल्पना	समाज सेवा	कला

उपरोक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि सभी 15 बालिकाओं ने रूचि के संबंध में प्रथम प्राथमिकता और द्वितीय प्राथमिकता के रूप में कहीं न कहीं समाज सेवा को प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की रूचि साहित्य के प्रति खेलकूद व कला की ओर भी है।

सारणी क्रमांक – 5

मनोवैज्ञानिक परीक्षण का परिणाम

समायोजन परीक्षण का परिणाम

क्र.	बालिका का नाम	स्वतः समायोजन			समूह समायोजन			कुल समायोजन		
		प्राप्तांक	शतांश मान	समायोजन की श्रेणी	प्राप्तांक	शतांश मान	समायोजन की श्रेणी	प्राप्तांक	शतांश मान	सम की
1.	कुमारी आशा	16	P 10	अति कम	14	P 10	अति कम	30	P 10	अति
2.	कुमारी आफरीन	18	P 10	अति कम	24	P 20	कम	42	P 20	कम
3.	कुमारी वर्षा	28	P 50	उच्च	32	P 80	उच्च	60	P 60	उच्च
4.	कुमारी बिंदु	24	P 40	मध्यम	28	P 60	मध्यम	52	P 50	मध्य
5.	कुमारी रश्मि	26	P 40	मध्यम	24	P 40	मध्यम	50	P 40	मध्य
6.	कुमारी संतोषी	30	P 60	उच्च	32	P 80	उच्च	62	P 70	उच्च
7.	कुमारी आनंदी	16	P 10	अति कम	14	P 10	अति कम	30	P 10	अति
8.	कुमारी नूरबानों	20	P 20	कम	24	P 40	मध्यम	44	P 30	कम
9.	कुमारी रानू	18	P 10	अति कम	16	P 10	अति कम	34	P 10	अति
10.	कुमारी बबली	26	P 40	मध्यम	24	P 40	मध्यम	50	P 40	मध्य
11.	कुमारी महक	20	P 10	कम	24	P 10	मध्यम	44	P 10	कम
12.	कुमारी बाली	24	P 10	मध्यम	28	P 10	मध्यम	52	P 10	मध्य
13.	कुमारी अंजलि	18	P 10	अति कम	20	P 10	कम	38	P 10	अति
14.	कुमारी राखी	26	P 10	मध्यम	24	P 10	मध्यम	50	P 10	मध्य
15.	कुमारी कल्पना	24	P 10	अति कम	26	P 10	अति कम	30	P 10	अति

उपरोक्त समायोजन परीक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि आठ बालिकाओं समायोजन स्वतः समूह तथा कुल में अति कम है या कम है, पांच बालिकाओं का समायोजन मध्य दो बालिकाओं का समायोजन हर परिस्थितियों में उच्च है।